कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 49/18 दिनांकः– 11-05-2018

अन्तर्गत धारा (53)

:: निर्णय /डिकी ::

श्री जीवाराम, उदमीता, जीवा. डी. हुरजी, श्रीमती लेवा हुरजी मोतिय सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प रतांड में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारों द्वारा ग्राम रतोला की जमाबंदी संवत् 2073-76 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बंटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक –2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारें की अभिशंषा की गई ।

ग्राम रतोला पटवार हल्का रतोला की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 70 नया 134 पुराना खसरा नं0 420/1, 430/1, 565, 668/1, 744/1, योग किता 5 योग रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा में श्री जीवाराम, उदमीता, जीवा डी. हुरजी, श्रीमती लेवा हुरजी सहखातेदार है। बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम रतोला के खाता नं0. 70 नया 134 पुराना के खसरा नं0 420/1, 430/1, 565, 668/1, 744/1, योग किता 5 योग रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा का सहखातेदारो के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय /डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर